

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रुखाबाद

आदेश संख्या : 486 /2021,

दिनांक : अप्रैल 26, 2021

आदेश

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्रांक मु0चि0अ0/कोविड-19/2021-22/382, दिनांकित 26.04.2021 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 356/पांच-5-2021, चिकित्सा अनुभाग-5, लखनऊ, दिनांकित 02.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में श्री विजय कुमार गुप्ता-1, अध्यक्ष, डेडीकेटेड टीम कोविड-19/अपर जिला जज कक्ष संख्या-02/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) की आख्या दिनांकित 26.04.2021 के आधार पर इस न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद में कार्यरत श्रीमती विनीता सिंह, सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0/एफ0टी0सी0, श्रीमती सुमेधा यादव, पुस्तकालय लिपिक एवं श्री सुनील कुमार बायम, कैशियर की कोरोना रिपोर्ट धनात्मक होने के कारण अधिष्ठान को सेनेटाइज/निसंकमित करने हेतु 48 घंटों के लिए दिनांक 27.04.2021 व दिनांक 28.04.2021 को अधिष्ठान पूर्णतया बन्द किया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 22 अप्रैल, 2021 के माध्यम से निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रस्तर संख्या-15 के अनुपालन में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद न्यायालय परिसर स्थित सभी न्यायालयों/कार्यालयों को 48 घंटों के लिए दिनांक 27.04.2021 व दिनांक 28.04.2021 को बन्द किया जाना आवश्यक है। जिससे सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को अच्छी तरह सेनेटाइज/निसंकमित कराया जा सके।

दिनांक 27.04.2021 व 28.04.2021 को नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हेतु सामान्य तिथि क्रमशः 30.04.2021 व 03.05.2021 नियत की जाती है। दिनांक 27.04.2021 व 28.04.2021 को नियत व्यवहार व दाण्डिक वादों हेतु सामान्य तिथि क्रमशः 27.05.2021 व 28.05.2021 नियत की जाती है। जो वाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु निर्देशित हैं, उन वादों में पीठसीन अधिकारी नियमानुसार तिथि शीघ्र की नियत कर सकते हैं।

दिनांक 27.04.2021 व 28.04.2021 को वाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कायमगंज, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रेलवे व किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद नियमित रूप से खुलेंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बन्दियों का रिमाण्ड कार्य सम्बन्धित अपर जिला जज द्वारा किया जायेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस पर रिमाण्ड कार्य, अवकाश कार्य दिवस की भांति संपादित कराने हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी, नजारत को निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा मुख्यालय स्थित प्रत्येक कक्षों एवं सभी कार्यालयों को सेनेटाइज व साफ-सफाई कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण न्यायालयों/कार्यालयों इत्यादि को सेनेटाइज कराने हेतु जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद, मुख्य चिकित्साधिकारी, फर्रुखाबाद व अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फर्रुखाबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये।

इस आदेश की प्रति अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोसियेशन एवं अधिवक्ता संघ, फतेहगढ़ को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे तदनुसार समस्त विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में न आने के लिए अवगत करायें, जिससे कि समस्त अधिवक्तागण के चेम्बर को भी सेनेटाइज किया जा सके।

सभी सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित हों एवं आदेश की प्रति जिला सूचना अधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इस सूचना को लोकहित में समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें। आदेश की एक प्रति न्यायालय परिसर के बोर्ड पर एवं एक प्रति न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर चरपा की जाये। नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर्स को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद की स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को तदनुसार प्रेषित की जाये।

(चवन प्रकाश)

जनपद न्यायाधीश,

फर्रुखाबाद।